राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

अग्रहायण 17, सोमवार, शाके 1947- दिसम्बर 08, 2025

Agrahayana 17, Monday, Saka 1947- December 08, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 15, 2025

संख्या प.9(133)राज-1/2025-32356:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जैसलमेरएवंराजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जैसलमेर जिले की तहसील भणियाणा एवं फतेहगढ़के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियां को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार हैः-

क्र.सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	शेष मूल राजस्व ग्राम का विवरण	
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011		क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जैसलमेर / फतेहगढ़	फतेहगढ़ / फतेहगढ़	फतेहगढ़ LG Code 86565	3440.3613	2308	श्रीखेतेश्वर नगर SriKheteshwar Nagar	197.4038	276	1.5	3242.9575	2032
2		रासला / फतेहगढ़	रासला LG Code 86942	6221.8658	1047	जुंजार गढ़ Junjargarh	2268.9363	161	6	3952.9295	886
3		मूलाना / फतेहगढ़	मूलाना LG Code 86489	9387.0961	2526	चिमन नगर Chiman Nagar	1185.9166	219	5	8201.1795	2307

4		तेजमालता / फतेहगढ़	जोगीदास का गांव LG Code 86586	3511.2027	1146	शक्ति नगर Shakti Nagar	773.6173	175	8	2737.5854	971
5		झिनझिनयाली / फतेहगढ़	झिनझिनयाली LG Code 86581	6442.2161	3313	आदर्श झिनझिनयाली Adarsh Jhinjhinyali	569.7143	655	3	5872.5018	2658
6		तेजरावा / फतेहगढ़	सिहड़ार LG Code 86527	2247.9301	1237	आदर्श सिहड़ार Adarsh Sihadar	862.3618	208	2	2174.1817	1080
			दीप नगर	1036.3693	254					247.7559	203

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, जैसलमेर को अधिकृत किया जाता है। उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से जिला कलक्टर राज्य सरकार को सूचित करेंगें।

हरि सिंह मीना,

शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।